

TO AUCTION UNUTILIZED/ENCROACHED LAND

***1398. SH. RAKESH DAULTABAD, MLA: Will the Chief Minister be pleased to state:**

- a) The details of HSVP land encroached upon in Gurugram together with the measurement and geographical location of above said encroached land/area; and
- b) Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to auction unutilized or encroached land of HSVP in Gurugram to raise money to settle farmers dues whose lands had been acquired in past.

REPLY

Manohar Lal, Chief Minister Haryana

Sir;

- a) In Gurugram approximately 663.05 acres of HSVP land is under encroachments in Sector-1A, 1B, 2C Palam Vihar, 5-Part-III & VI, 9, 9A, 10, 10A, 12A, 15-Part I & II, 16, 18 to 22, 23-23A, 37-I & II, 81 to 115, 110A, 37C, Pataudi, 24-25A, 27, 28, 30, 31-32A, 32, 33, 38 to 40, 42 to 52, 52A, 53, 54 and 57-I & II Gurugram. Out of this 466.29 acres land is under litigation in various Hon'ble Courts.

The balance 196.76 acres of land is under encroachment for which necessary action is being taken for removal of these encroachments. It will be pertinent to mention here that 172.35 acres land has been got free from encroachments during this year.

- b) The HSVP is planning/re-planning the unutilized or encroached land after getting the encroachment removed. This planned land is being disposed off through E-auction to generate revenue and for settling the pending claims.

अन-उपयोगी/अतिक्रमित भूमि की नीलामी

*1398 श्री राकेश दौलताबाद एम0एल0ए0 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) गुरुग्राम में अतिक्रमण की गई एचएसवीपी भूमि का विवरण, साथ में उक्त अतिक्रमित भूमि/क्षेत्र की माप और भौगोलिक स्थिति, तथा

(ख) क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। गुरुग्राम में एचएसवीपी की अप्रयुक्त या अतिक्रमित भूमि की नीलामी करने के लिए किसानों की बकाया राशि का निपटान करने के लिए धन जुटाने के लिए जिनकी भूमि पूर्व में अधिग्रहित की गई थी?

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

महोदय,

(क) गुरुग्राम में सेक्टर 1ए, 1बी, 2सी, पालम विहार, 5-भाग III और VI, 9, 9ए, 10, 10ए, 12ए 15-भाग I और II, 16, 18 से 22, 23-23ए, 37-I और II, 81 से 115, 110ए, 37सी, पटौदी, 24-25ए, 27, 28, 30, 31-32ए, 32, 33, 38 से 40, 42 से 52, 52ए, 53, 54 और 57-I और II, गुरुग्राम में लगभग 663.05 एकड़ एचएसवीपी भूमि अतिक्रमण के अधीन है। इसमें से 466.29 एकड़ भूमि विभिन्न माननीय न्यायालयों में मुकदमों के अधीन है। शेष 196.76 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यहां यह बताना उचित होगा कि इस वर्ष के दौरान 172.35 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है।

(ख) एचएसवीपी अतिक्रमण हटाने के बाद अनुपयोगी या अतिक्रमित भूमि की योजना/पुनर्योजना बना रहा है। इस नियोजित भूमि का निस्तारण ई-नीलामी के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने तथा लंबित दावों के निपटारे के लिए किया जा रहा है।